फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा निवासी नारायण जी का सेरिया, सुभाष मार्ग, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 33 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.06.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :— आरटीआई / 07 / अपील—33 / 2025 / 221 दिनांक 30.05.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. श्री उदयलाल कंसारा निवासी देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 19.03.2025 ऑनलाईन क्रमांक 244082310216356 का इस कार्यालय हाजा को दिनांक 19.03.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह प्रतीत हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवगढ़ से संबंधित है। हाजा कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 07 / 2025 / 138—139 दिनांक 15.04.2025 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र का अन्तरण अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवगढ़ को कर दिया गया। श्रीमान् से निवेदन है कि आरटीआई पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने से उक्त प्रार्थना पत्र का ऑनलाईन अन्तरण समय पर करना संभव नहीं हुआ जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का अन्तरण अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवगढ़ को नहीं किया जा सका। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम ऑनलाईन अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाओ का संबंध कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ नहीं होकर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका देवगढ़ से होने से अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई / 07 / 2025 / 138—139 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका देवगढ़ को अन्तरण कर दिया गया है।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः प्रार्थी को इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सुचनाए कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका देवगढ़ से नियमानुसार प्राप्त करे। तथा प्रकरण का इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)